

  
**जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम**  
(आई०टी०डी०ए०,चाईबासा)

**अतिथि शिक्षक हेतु सूचना**

पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित नव निर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय नोवामुण्डी, मनोहरपुर, मंझारी, मझगाँव, सोनुवा, गुदड़ी, टोन्टो, हाटगम्हरिया, गोईलकेरा, तांतनगर एवं कुमारडुँगी का संचालन किया जाना है। जिसमें तत्कालिन रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है जिसके लिये निम्नांकित पद हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

विषयवार रिक्त पद की विवरणी निम्नवत् है :-

| क्र    | पद का नाम                                 | अनारक्षित पद | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अति कमजोर वर्ग | कुल पदों की संख्या |
|--------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1      | स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, विज्ञान         | 5            | 5               | 0             | 1              | 11                 |
| 2      | स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, हिन्दी          | 5            | 5               | 0             | 1              | 11                 |
| 3      | स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, अंग्रेजी        | 4            | 3               | 0             | 0              | 7                  |
| 4      | स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, सामाजिक विज्ञान | 5            | 5               | 0             | 0              | 10                 |
| 5      | स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, गणित            | 5            | 5               | 0             | 1              | 11                 |
| 6      | स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, संगीत           | 5            | 5               | 0             | 1              | 11                 |
| 7      | स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, कला             | 5            | 5               | 0             | 1              | 11                 |
| 8      | शारीरिक शिक्षक (पुरुष)                    | 5            | 5               | 0             | 1              | 11                 |
| 9      | शारीरिक शिक्षक (महिला)                    | 5            | 5               | 0             | 1              | 11                 |
| कुल :- |                                           | 44           | 43              | 0             | 7              | 94                 |

**1. स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (TGT) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-**

- संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ चार वर्षीय एकीकृत स्नातक बी०एड० अथवा संबंधित विषय में तीन वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बी०एड० आवश्यक है।
- संबंधित विषय में एकीकृत स्नातक बी०एड०/ तीन वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बी०एड० की डिग्री ना होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ संबंधित विषय में तीन वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री।
- (CTET पत्र-2 (कक्षा VI-VIII) या JTET उत्तीर्ण अभियार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।)

**2. स्नातक प्रशिक्षित संगीत शिक्षक (TGT Music) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-**

- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संगीत में स्नातक डिग्री।

**3. स्नातक प्रशिक्षित कला शिक्षक (TGT Art) हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-**

- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला/शिल्प में स्नातक डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला/शिल्प में बी०एड० की डिग्री।

**4. शारीरिक शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-**

- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है।

*u*

#### आयुसीमा :-

- ♦ न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए।
- ♦ राज्य सरकार/KVS/NVS/मान्यता प्राप्त CBSE स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त के लिये अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। बशर्तें की वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।

#### आवेदन प्रक्रिया :-

- ♦ आवेदन पत्र NIC पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की वेबसाईट [www.chaibasa.nic.in](http://www.chaibasa.nic.in) पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाईट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य प्रारूप में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ♦ आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक, प्रमाण पत्र, अनुमण्डल/जिला स्तरीय ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधारकार्ड की छायाप्रति, अनुभव प्रमाण-पत्रों, आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य (छायाप्रति) की स्वःअभिप्रमाणित प्रति निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा पिन 833202 में दिनांक 10-07-2025 के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

#### चयनप्रक्रिया :-

- ♦ प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित परीक्षा (OMR BASED) के आधार पर किया जायेगा।
- ♦ साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों को साक्षात्कार की तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जायेगा।
- ♦ विभागीय पत्रांक 202, दिनांक 28.01.2025 के द्वारा रिक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर के पद पर Guest शिक्षको के चयन हेतु स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी।

#### अन्य शर्तें :-

- ♦ सभी पदों के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 1617, दिनांक 17.03.2023 के अनुरूप पश्चिमी सिंहभूम, समाहरणालय के आरक्षण रॉस्टर के प्रावधान का पालन किया जाएगा।
- ♦ अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति केवल 31 मार्च 2026 तक या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो के आधार पर किया जायेगा। इस पर भविष्य में किसी भी स्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही एकरारनामा में वर्णित शर्तों के उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्य के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
- ♦ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। अतिथि शिक्षक इस नियुक्ति के आधार पर अपने सेवाओं के नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं।
- ♦ अतिथि शिक्षकों का कार्य समय नियमित शिक्षकों के समान होगा। चूँकि EMRS एक आवासीय विद्यालय है इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकतानुसार विद्यालय में उपलब्ध रहना होगा।

u

- ♦ पूर्णकालिन अतिथि शिक्षकों को NEST/State EMRS Society द्वारा स्वीकृत निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है :-  
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (टीजीटी)  
NESTS RR के अनुसार योग्यता के साथ रूपया 33,000 /-  
NESTS RR के अनुसार योग्यता के बिना रूपया 29,000 /-  
इसके अतिरिक्त कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- ♦ नियुक्ति पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करना होगा। अन्यथा प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों का चयन कर लिया जायेगा। इसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- ♦ केन्द्र सरकार एवं NESTS द्वारा घोषित अवकाश के अलावे कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- ♦ अतिथि शिक्षकों का अध्यापन कार्य के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी। इसके लिए अलग से राशि का दावा नहीं करना होगा। साथ ही संस्था प्रमुख के द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
- ♦ अतिथि शिक्षकों के लिए विद्यालय चयन का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास सुरक्षित होगा।
- ♦ किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था प्रमुख अथवा जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- ♦ NESTS द्वारा अतिथि शिक्षकों का चयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।
- ♦ इस विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

Chanday  
26/06/25

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम,चाईबासा।